



कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
की नया मुरादाबाद योजना
के अन्तर्गत नीलामी के माध्यम से भूखण्ड प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

नीलामी तिथि- 20.11.2018
स्थान-प्राधिकरण सभागार
समय 12:00 बजे

क्र०सं 0	योजना का नाम	रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्गमी० में	न्यूनतम आरिक्त मूल्य प्रति वर्गमी०	घरोहर राशि (अनु०कीमत की 10%) (रु०)
01	नया मुरादाबाद सेक्टर-03	3A-24	200.00	13,000.00	2,60,000.00
02	नया मुरादाबाद सेक्टर-03	3D-53	135.00	13,000.00	1,75,500.00
03	नया मुरादाबाद सेक्टर-03	3E-122	99.60	13,000.00	1,30,000.00
04	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-55	241.65	13,000.00	3,14,500.00
05	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-34	243.00	13,000.00	3,16,000.00
06	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-108	203.04	13,000.00	2,64,000.00
07	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5C-14	335.00	13,000.00	4,35,500.00
08	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5C-60	244.25	13,000.00	3,18,000.00
09	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-52,5B-38,5B-40,5C-107,5C-192	162.00	13,000.00	2,10,600.00
10	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-97	151.42	13000.00	1,97,000.00
11	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5A-160,	176.39	13000.00	2,30,000.00
12	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5A-161	183.60	13000.00	2,39,000.00
13	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-379,5B-381,5B-378,5B-190, 5B-428,5B-178,5B-279,5B-283, 5B-315, 5B-303,5B-125	72.00	13000.00	93,600.00
14	नया मुरादाबाद सेक्टर-05	5B-554,5B-557,5B-555, 5B-552	60.00	13,000.00	78,000.00
15	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	6E-28	329.00	13000.00	4,27,700.00
16	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	6E-39	265.54	13000.00	3,45,500.00
17	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	6B-01 से 6 B-24 तक, B-27, 28, 6B-30 से 6 B-42 तक, 6B-103,6B-41, 6B-62, 6 B-90A, 6D-35, 6D-109, 6 D-113, 6C-74, 6D-90B, 6D-109,6D-35,6C-74,6C-102	162.00	13,000.00	2,10,600.00
18	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	6B-93,95,98,99	189.00	13,000.00	3,45,700.00
19	नया मुरादाबाद सेक्टर-06	6E-66	66.00	13,000.00	85,800.00
20	नया मुरादाबाद सेक्टर-07	7A-13	200.00	13000.00	2,60,000.00

21	नया मुरादाबाद सेक्टर-07	7B-71	222.00	13000.00	2,88,600.00
22	नया मुरादाबाद सेक्टर-07	7C-229,7C-239,7A-74, 7A-77,7C245,7A-61	162.00	13000.00	2,10,600.00
23	नया मुरादाबाद सेक्टर-07	7B-148	40.50	13000.00	52,700.00
24	नया मुरादाबाद सेक्टर-08	8B-530,8C-356,360,419,8A-63, 63,118,261,612,418, 8B195	162.00	13,000.00	2,10,600.00
25	नया मुरादाबाद सेक्टर-08	8A-90,8C-426,427	135.00	13000.00	1,75,500.00
26	नया मुरादाबाद सेक्टर-08	8C-233	72.00	13000.00	93,600.00
27	नया मुरादाबाद सेक्टर-10	10D-65	351.00	13000.00	4,56,300.00
28	नया मुरादाबाद सेक्टर-14	14D-22	472.50	13000.00	6,14,500.00
29	नया मुरादाबाद सेक्टर-14	14E-17	455.62	13000.00	5,92,500.00
30	नया मुरादाबाद सेक्टर-14	14F-30	517.50	13000.00	6,73,000.00

❖ नियम व शर्तें :-

- (1) आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों के सम्बन्ध में नियम व शर्तों की पुस्तिका प्राधिकरण कार्यालय स्थित केनरा बैंक से 590/- (जी0एस0टी0 सहित) जमा करके प्राप्त की जा सकती है ।
- (2) धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्राधिकरण में स्थित केनरा बैंक शाखा एम0डी0ए0 में जमा करना होगा। तथा नीलामी बोली से एक दिन पूर्व दिनांक 19.11.2018 को सांय 5:00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय से टोकन सं0 प्राप्त करना अनिवार्य होगा। (3) नीलामी की तिथि पर अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय व स्थल पर सम्पन्न की जायेगी । (4) भूखण्डों की 20 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर, अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि 4 त्रैमासिक ब्याज रहित किस्तों में अथवा 15 प्रतिशत ब्याज के साथ 16 त्रैमासिक किस्तों में देय होगी । विलम्ब से जमा करने पर किस्तों में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा ।
- (5) यदि उच्चतम बोली की अवशेष राशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के बाद एक माह के अन्दर एक मुस्त जमा किया जाता है तो 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी ।
- (6) आवंटन उपरान्त समर्पण करने तथा आवंटि के डिफाल्टर होने की दशा में प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त करने पर समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
- (7) भूखण्ड के कब्जे से पूर्व भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड एंव अन्य शुल्क जमा करना होगा तथा अनुबन्ध/विक्रय विलेख पत्र का निबन्धन कराना होगा ।
- (8) बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष महोदय मु0वि0प्रा0 में निहित होगा ।
- (9) भूखण्डों की योजना का ले-आऊट प्लान प्राधिकरण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में इच्छुक अभ्यार्थी देख सकते हैं ।
- (10) किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष मु0वि0प्रा0 का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा ।
- (11) समय-समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा ।
- (12) सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान भूखण्डों के मूल्य के अतिरिक्त आवंटि को देना होगा ।
- (13) रिक्त सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है ।
- (14) अधिक जानकारी सम्पत्ति प्रभारी, मु0वि0प्रा0, कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है ।

कनक त्रिपाठी
आई.ए.एस.
उपाध्यक्ष